

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पैंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अकिंत दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया है।

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की सेवा दोनों ही शर्त पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम सं-06 में अकिंत दिनांक से निम्नाकिंत कार्मिक की स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्रम	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती (राउमावि / रावाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	वांछित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	सत्यनारायण नागोरी, व्याख्याता—वाणिज्य, राउमावि कैलवाडा— कुम्भलगढ़—राजसमन्द	वाणिज्य	23.12.1963	25.09.1987	01.09.2020

1 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, का सम्बन्धित से स्वयंहस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि का सेवानिवृति से सम्बन्धित कार्यवाही करें।

स्वैच्छिक सेवानिवृति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।

गह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज दिनांक तक-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं हैं।

60

(संखासी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

ਬੀਕਾਨੇਰ

दिनांक— १५-०६-

www.english-test.net

क्रांति शिविर /मा /संस्था /सी-२ /31853 /स्वे.सेवानिवृति /2020 /प

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 मास्त्रान्वित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान

सम्बन्धित जप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

२ सम्बन्धित उप निदराप, राज्य पाला, ...
२ ग्रामस्थ निदेशक (स्कूल शिक्षा) / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

३ संयुक्त निदशक (स्पूल रिव्या) // उन्होंने इस विषय पर अपलोड करने हेतु।

1632/2006-07 पर तत्सम्बन्धित इन्द्राज क
वि-आवाज / निजी / सक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान